

Ref No.: RDSA/Mines/21-22/05

Date: 17-07-2021

To,

Add. Principal Chief Conservator of Forest

Cum Nodal Officer FCA,

Jhalana Institutional Area

Aranaya Bhawan, Jaipur (Rajasthan)

Subject: Compliance Report of EDS regarding Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land in favor of RDSA MINING LLP For Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019 in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunth, District – Pratapgarh, Rajasthan vide proposal No. FP/RJ/MIN/142600/2021.

Ref: FCA Nodal Officer Online EDS dated 16th July, 2021.

Dear Sir,

With reference to above mentioned Subject, we have received the online EDS on dated 16th July, 2021 regarding Forest Diversion Proposal for “**Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land In Favour of RDSA MINING LLP For Opencast Marble Mining (Plot No. 02/2019 in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil- Pipalkhunth, District – Pratapgarh, Rajasthan**”.

It is requested that We have uploaded the required documents per EDS on MoEF&CC Web portal for your reference and further processing please.

Point Wise Compliance Report:

Sr No.	EDS raised by Forest Department	Reply by User Agency
1.	The proposal should be uploaded through DMG Rajasthan as per order dated 05.08.2015.	<ul style="list-style-type: none">➤ We hereby undertake that, Department of Mines and Geology Nodal Officer, Khanij Bhawan, Udaipur has recommended this proposal vide letter no 994-96 dated 28th July, 2021.➤ We have also submitted the Original DMG Recommendation letter along with One Set of hard copy of forest Diversion Proposal in FCA Cell, Aranya Bhawan Jaipur on dated 29th July, 2021.➤ Copy of DMG recommendation is again enclosed for your kind reference and further processing please.

Place: Udaipur

Date: 17.07.2021

Signature of User Agency

Office Seal

RDSA MINING LLP



(V.K. GHIYA)

Chief Executive Officer

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,
खनिज भवन/Khanij Bhavan उदयपुर/Udaipur-313001
दूरभाष/Phones: 2415091-95 फैक्स/Fax: (0294) 2410526

क्रमांक: निदे/अनिखा/वन/डाय/प्रतापगढ/प्लॉट न. 2/2019/2021/ दिनांक: .06.2021

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक(FCA)

नोडल अधिकारी वन मामलात

वन विभाग जयपुर

विषय:- आर.डी.एस.ए. माईनिंग एल.एल.पी के पक्ष में खनिज मार्बल के प्लॉट नं. 02/2019 राजस्व ग्राम केलामेला, तहसील पीपलखुंट, जिला प्रतापगढ के 10.4162 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रकरण बाबत। Proposal No : FP/RJ/MIN/142600/2021

प्रसंग:- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर का पत्रांक एफ14 ()2013/एफसीए/प्रमुवंस/5051 दिनांक 05.08.2015 एवं कार्यालय खनि अभियन्ता, प्रतापगढ का पत्रांक खअ/प्रताप/सीसी/प्लॉट नं. 02/2019/2021-22/745 दिनांक 25.06.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि खनि अभियन्ता, प्रतापगढ के संदर्भित पत्र दिनांक 25.06.2021 के साथ संलग्नक कार्यालय खनि अभियन्ता के क्षेत्राधिकार में डेलिनियेटेड प्लॉट नम्बर 02/2019, क्षेत्रफल 10.4162 हैक्टेयर वास्ते खनिज मार्बल ग्राम केलामेला तहसील पीपलखुंट, जिला प्रतापगढ का मंशा पत्र (LOI) शासन के द्वारा आर.डी.एस.ए. माईनिंग एल.एल.पी के पक्ष में दिनांक 12.05.2021 को जारी किया गया। उक्त डेलिनियेटेड प्लॉट वन भूमि में आता है। मंशा पत्र धारक द्वारा मंशा पत्र की शर्त संख्या-4 के निर्देशों की पालना में वनभूमि का प्रत्यावर्तन कराये जाने के क्रम में ऑनलाईन फोरेस्ट डायवर्जन प्रस्ताव FP/RJ/MIN/142600/2021 द्वारा प्रस्तुत करते हुये प्रस्ताव की हार्ड प्रतियाँ कार्यालय खनि अभियन्ता, प्रतापगढ के माध्यम से निदेशालय को प्रेषित की गई हैं। निदेशालय स्तर से परीक्षण उपरान्त अनुशंषा करते हुये प्रस्ताव की 1 प्रति पत्र के साथ मूल ही संलग्न कर आपके कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 05.08.2015 के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत नियमानुसार वन अनारक्षण की अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित हैं।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार-1 सेट

भवदीय,

sd

(डी.पी. गौड़)

अतिरिक्त निदेशक (खान)

(पर्यावरण एवं विकास)

क्रमांक: निदे/अनिखा/वन/डाय/प्रतापगढ/प्लॉट न. 2/2019/2021/996 दिनांक: 28.06.2021

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

1. खनि अभियन्ता, प्रतापगढ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में।
- ✓ 2. आर.डी.एस.ए. माईनिंग एल.एल.पी, ब्रांच ऑफिस- ए-404, अमर विलास अपार्टमेंट, आर टी.ओ. ऑफिस के सामने, उदयपुर-313004, राजस्थान।

(डी.पी. गौड़)

अतिरिक्त निदेशक (खान)

(पर्यावरण एवं विकास)